राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1152/2025 प्रभाती देवी बनाम महिपाल सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
29/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2025 पारित करते हुये तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी को विवादग्रस्त भूमि आराजी खाता संख्या नया 511 पुराना 149 के खसरा नम्बर 1346/1152 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1347/1152 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1357/1151 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर वाके ग्राम भट्टो की गली, पटवार हल्का भट्टो की गली, भू.अ.नि. क्षेत्र जाहोता, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर राजस्थान स्थित में विधिसम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर सभी सहखातेदारों को विधिवत सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक जमाबन्दी विवादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर सभी सहखातेदारों को सूचित करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक व अनिवार्य प्रक्रियां है, जिसे अपील के माध्यम से उठाये गये तकनीकी आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**प्रभाती देवी बनाम महिपाल सिंह** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 29/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर